

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रार्षकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 298] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 20, 1979/आषाढ़ 29, 1901
No. 298] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 20, 1979/ASADHA 29, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

घाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(घाणिज्य विभाग)

आवृत्ति

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1979

निर्धारित व्यापार नियंत्रण

क्र. आ. 415(अ)/संहिता-ई(सी) आ. 1977/एएम (124).—आयात एवं निर्यात
(नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 क्र 18) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग
करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आवृत्ति, 1977 में आगे संशोधन
के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 37वां संशोधन आदेश, 1979 की संज्ञा दी
जाए ।

2. निर्यात (निर्यात) आदेश, 1977 में—

(1) भाग "ख" अनुसूची-1 में क्रम संख्या-48 के सामने आने वाली मद और खुले सामान्य लाइसेंस-4 में क्रम संख्या-31 के सामने की संगत प्रविष्टि को हटा दिया जाएगा।

(2) भाग "क" अनुसूची-1 में क्रम संख्या-50 के सामने आने वाली वर्तमान प्रविष्टि को निम्नीलिखित द्वारा प्रमाणित किया जाएगा :—

"सभी प्रकार के खनिज तेल जिनमें, अपरिष्कृत तेल, मिट्टी का तेल, ईंधन के लिए तेल, स्नेहक तेल, ग्रीज, पेट्रोल, धुलनशील तेल, खनिज एवं प्राकृतिक तारपीन, नेपथा, बिटुमन/स्फुल्ट शामिल होंगे।"

[मिसल संख्या-29(9)/79-ई-2]

सी. वेंकटरमन, मुख्य निर्यात (आयात-निर्यात)

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 20th July, 1979

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 415(E)/No. E(C)O, 1977/AM(124).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Thirty-seventh Amendment Order, 1979.

2. In the Exports (Control) Order, 1977—

(i) In Part 'B', Schedule I, the item appearing against S. No. 48 and corresponding entry in OGL-4 against S. No. 31 shall be deleted,

(ii) In Part 'A', Schedule I, the existing entry appearing against S. No. 50 shall be substituted by the following :—

"Mineral Oil, all sorts, including crude oil, Kerosene, fuel oil, lubricating oils, greases, petrol, solvent oils, mineral and natural turpentine, Naptha, Bitumen/Asphalt."

[F. No. 29(9)/79-F-II]

C. VENKATARAMAN, Chief Controller of Imports & Exports.